# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

## पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 020/2019 (GCMS 2019/00104) | 08.07.2019 | 03.02.2021 |

**अनवान**

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

**प्रार्थी**

**बनाम**

राकेश सिंह राजपुरोहित पुत्र हरि सिंह राजपुरोहित (विक्रेता) मैसर्स खेतेश्वर जोधपुर मिष्ठान भण्डार, झालामन्ना सर्कल बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ निवासी झालामन्ना सर्कल बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) स्थाई पता मुकाम जोरावरपुरा, पुलिस थाना राजलदेसर, तहसील रतनगढ जिला चुरू (राज0)

**अप्रार्थी**

**–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–**

## –:: निर्णय ::–

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह राणावत द्वारा दिनांक 01.11.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहा था और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था। जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छायाप्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.11.2018 को समय 05.40 पीएम पर मैसर्स खेतेश्वर जोधपुर मिष्ठान भण्डार झालामन्ना सर्कल बडी सादडी जिला चित्तौड़गढ (राज.) पर पहुँचें। वहां पर राकेश सिंह राजपुरोहित पुत्र हरि सिंह राजपुरोहित उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक की हैसियत से खाद्य पदार्थ मैदा काजु व अन्य खाद्य सामग्री आम जनता को विक्रय हेतु कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर गवाहान श्री महेन्द्र सिंह व भगवती ल[illegible]रैवाल की उपस्थिति में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:40 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर 250–250 ग्राम के पोलीपैक मैदा काजु सील्ड अवस्था मे विक्रय हेतु रखा पाया गया। उक्त मैदा काजु के सील्ड पोलीपैक पर खाद्य सामग्री से संबंधित विवरण जैसे लोट नम्बर, नेट वेट, एमआरपी, डेट ऑफ पेकेजिंग, बेस्ट बिफो, मेन्युफेक्चरिंग बाय आदि का अंकन नहीं पाया गया। विक्रेता के पास उक्त मैदा काजु का खरीद बिल नहीं होना पाया। मिलवाट की शंका होने पर उक्त उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना एसएसएसए एक्ट, 2006 के तहत जांच हेतु लेने के लिए विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर **V-A** की प्रति गवाहन की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देखकर प्राप्ति रसीद ली। जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के आठ सील्ड पॉलीपैक को वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रुपयें 200/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाए एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किए, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ को चार बराबर–बराबर भागो मे बाट कर चार प्लास्टिक डिब्बो में अलग–अलग रखकर ढक्कन लगाकर अच्छी तरह एयर टाईट बन्द किया। उक्त नमुना भागो हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर मैने, गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागजों में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-988** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक पेंदे पर एवं दाई और एवं एक बाई और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमुनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमुने का पुर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नमुने के एक भाग (चौथा भाग) को एक्रीएटेड लैब मे जोंच कराने की जानकारी मौके पर ही मेरे द्वारा दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिपोट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। नमूना लेने के पश्चात् शेष बची मैदा काजू को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमानुसार सील सीज कर व्यापारी श्री राकेश सिंह राजपुरोहित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:40 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विशलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर, को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ के पत्र क्रमांक/**FSSA/2018/4665** दिनांक 27.12.2018 द्वारा ज्ञात हुआ कि मेरे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था जो कि मिसब्राण्डेड होना पाया गया। जाँच रिर्पोट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्मो को प्राप्त जांच रिपोर्ट की एक प्रति रजिस्टर्ड पत्र से प्रेषित की गई, जिसका फोवर्डिग पत्र की मूल कार्यालय प्रति व मूल पोस्टल रसीदो के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 4665 दिनांक 27.12.2018 की पालना में श्रीमान अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चितौडगढ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक क्रमांक/**FSSA/2019/2031** दिनांक 18.06.2019 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगण ने मिसब्राण्डेड मैदा काजु का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित है। अतं में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि आवेदन न्याय निर्णयन हेतु श्रीमान को प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके, साथ ही जब्तसुदा उक्त मैदा काजु के निस्तारण बाबत् भी आदेश प्रदान करावें।

इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 12.09.2019 को अप्रार्थी की और से उनके अधिवक्ता शिवनारायण जाट हाजिर आये एवं अधिकार पत्र एवं जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:40 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पेश किया। अपने जवाब में अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से स्वीकार कर बताया कि विपक्षी के यहा से एफएसएस एक्ट 2006 के नियमो के अधीन कोई जांच नही करी ओर विधीवत प्रकिया नही अपनाई गई न ही विधी अनुसार नमुने लिये गये है। विपक्षी के यहाॅ से लिये गये नमुनो की जांच के अन्तर्गत जब्त शुदा सामग्री नहीं भेजी गई एवं विपक्षी को कोई सुचना नही दी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मोके पर कोई रिपोर्ट तैयार नही की गई है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट सही नही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गलत वस्तु की जांच करवायी गई है। विपक्षी के यहा से लिये गये नमुने की जांच नही हुई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी के यहा से लिये गये नमुनो को काजु गलत बताया है जबकी काजु के रूप में मिठाई तैयार की गई थी। और उसमे कोई मिलावट नही थी, और जब्त शुदा नमुने काजु नही थे। विपक्षी भविष्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कोई अपराध नही करेगा एवं विपक्षी का पहला अपराध है। अतः श्रीमान से निवदेन है कि विपक्षी का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को दोष मुक्त किया जाने का आदेश प्रदान करावें।

दिनांक 03.02.2021 को विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी के यहा से एफएसएस एक्ट 2006 के नियमो के अधीन कोई जांच नही करी ओर विधीवत प्रकिया नही अपनाई गई न ही विधी अनुसार नमुने लिये गये है। विपक्षी के यहाॅ से लिये गये नमुनो की जांच के अन्तर्गत जब्त शुदा सामग्री नहीं भेजी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गलत वस्तु की जांच करवायी गई है। विपक्षी के यहा से लिये गये नमुने की जांच नही हुई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी के यहा से लिये गये नमुनो को काजु गलत बताया है जबकी काजु के रूप में मिठाई तैयार की गई थी। और उसमे कोई मिलावट नही थी एवं प्रार्थना कि विपक्षी का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को दोष मुक्त किया जाने का आदेश प्रदान करावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस समाप्त की। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत फार्म नंबर 5 ए की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को मैदा के काजू का नमूना लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विपक्षी के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि नमूना खरदी बिल से होती है, उस पर गवाहान की शहादत है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार किया गया मौका फर्द का अवलोकन किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या [illegible] नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:40 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

**ANALYSIS REPORT---**

**(i) Sample description:- The sealed sample contained in a scaled plastic box having Two original company pack poly bag.**

**(ii) Physical appearance:- Brownish in colour.**

**(iii) Label :-- Maida ki Kaju (Prepare in Ref. Soyabean Oil) Batch No. Absent, Pkd on-Absent, Green Symbool- Absent, Nutritional valuc- Absent, Ingrcdicnt- Absent, Fssai Lic. No.- Absent. Contravention to Regulation 2.2.2(6), 2.2.2(8), 2.2.2(9) & 2.2.2(10) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011.**

**Opinion:- The sample of Maida ki Kaju (Prepare in Ref. Soyabean Oil) bearing code no. and serial no. AM-988 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh Is sub-standard as Maida ki Kaju not prepared in ref. soyabean oil as does not meet standards of ref. soyabean oil as per the prescribed standards & Provisions as per Food Safety and Standards(food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(2x) of the Food Safety and Standards Act 2006. The sample is misbranded food. The sample is misbranded under section 3(1)(zł)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.**

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-988** मैदा काजु का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zł)(C)(i)** के तहत मिस ब्राण्ड एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(2x)** के तहत सब स्टेन्डर्ड का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। उक्त खाद्य पदार्थ का विपक्षी के पास बिल का नहीं होना जाहिर होता है। निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, किन्तु अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। किन्तु इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है कि अप्रार्थी राकेश सिंह राजपुरोहित पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:40 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हरि सिंह राजपुरोहित (विक्रेता) मैसर्स खेतेश्वर जोधपुर मिष्ठान भण्डार, झालामन्ना सर्कल बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ निवासी झालामन्ना सर्कल बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) स्थाई पता मुकाम जोरावरपुरा, पुलिस थाना राजलदेसर, तहसील रतनगढ जिला चुरू (राज0) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 51–52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 52 के अनुसार–

**49. General provisions relating to penalty.**
While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

**51. Penalty for sub-standard food.**
Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

**52. Penalty for misbranded food.**
(1) Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees.
(2) The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त राकेश सिंह राजपुरोहित पुत्र हरि सिंह राजपुरोहित (विक्रेता) मैसर्स खेतेश्वर जोधपुर मिष्ठान भण्डार, झालामन्ना सर्कल बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ निवासी झालामन्ना सर्कल बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) स्थाई पता मुकाम जोरावरपुरा, पुलिस थाना राजलदेसर, तहसील रतनगढ जिला चुरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:40 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राज0) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन करने से अभियुक्त श्री राकेश सिंह राजपुरोहित पुत्र हरि सिंह राजपुरोहित (विक्रेता) मैसर्स खेतेश्वर जोधपुर मिष्ठान भण्डार, झालामन्ना सर्कल बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ निवासी झालामन्ना सर्कल बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) स्थाई पता मुकाम जोरावरपुरा, पुलिस थाना राजलदेसर, तहसील रतनगढ जिला चुरू (राज0) को 20000/– अक्षरे बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा माल का नियमानुसार निस्तारण किया जावें।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **03.02.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:40 IST
Reason: SelfAttested